भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 225

21.07.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

225. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है और क्या हाल के वर्षों में उसमें कोई वृद्धि या कमी दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा देश भर में बाघ संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं और इन उपायों का समग्र संख्या रुझानों में किस प्रकार योगदान रहा है;

(ग) राजस्थान स्थित मुकुंदरा बाघ अभयारण्य में बाघ संरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयासों में कोई प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) मुकुंदरा जैसे कम प्रसिद्ध अथवा छोटे अभयारण्यों में बाघों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एनटीसीए द्वारा क्या उपाय किये गए हैं और इन संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार, बाघों की अनुमानित संख्या,वर्ष 2018 में 2967 (रेंज 2603-3346) और वर्ष 2014 में 2226 (रेंज 1945-2491) की तुलना में, बढ़कर 3682 (रेंज 3167-3925) हो गई है। देश में बाघ पर्यावास स्थलों से संबंधित वर्ष 2014, 2018 और 2022 में किए गए बाघों की संख्या आकलन का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से किए गए उपाय निम्नानुसार हैं -

1. जेनेरिक उपाय

- बाघों के संरक्षण, अवसंरचना और अवैध-शिकार रोधी कार्यकलापों (बाघ सुरक्षा बल और विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती सहित) के लिए - "बाघ परियोजना" की केंद्रीय प्रायोजित योजना जो अब बाघ और हाथी परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम - के रूप में जारी है, के तहत राज्यों को सहायता प्रदान करना।

- बाघ रिजर्वों के बाहर बाघ बहुल संवेदनशील वन क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए बाघ और हाथी परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्राप्त होने वाली सहायकता के अतिरिक्त एनटीसीए के माध्यम से अनुदान प्रदान करना।
- अवैध-शिकारियों/वन्यजीव अपराधियों से संबंधित पश्चवर्ती/अग्रस्थ संबंद्धता की सही समय की सूचना का प्रसार करना।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यवेक्षी क्षेत्र दौरे करना।
- प्रत्येक बाघ का फोटो आईडी डेटाबेस रखने के लिए कैमरा ट्रैप का उपयोग करके बाघ रिजर्व स्तर की निगरानी शुरू करना।
- जब्त किए गए अथवा मृत बाघों के शरीरांगों के साथ संबंद्धता स्थापित करने के लिए प्रत्येक बाघ के फोटो कैप्चर का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना।
- क्षेत्रीय कर्मचारियों के प्रयासों को संपूरित करने हेतु सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय कार्यबल तैनात करने के लिए राज्यों की सहायता करना [कुल मिलाकर, वार्षिक रूप से लगभग 43 लाख कार्य-दिवस सृजित होते हैं]।
- स्रोत क्षेत्र अभिनिर्धारित करने के लिए बाघ बहुल देशों के बीच बाघ की खाल सहित अन्य शरीरांगों की जब्ती संबंधी सूचना साझा करना।

2. सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रत्येक बाघ रिजर्व के लिए सुरक्षा योजना प्रतिपादित करने के लिए जेनेरिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत विधिक रूप से अधिदेशित समावेशी बाघ संरक्षण योजना में प्रचालनात्मक बनाया गया है।

3. सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सुरक्षा खतरों का आकलन करने और स्थल विशिष्ट सुरक्षा योजना प्रतिपादित करने के लिए एक कार्यढ़ांचा विकसित किया है जिसे चरण-I में 25 विभिन्न बाघ रिजर्वों में पूरा कर लिया गया है और शेष बाघ रिजर्वों के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

4. एम-स्ट्राइप्स (बाघों की गहन सुरक्षा और पारिस्थितिकीय स्थिति हेतु निगरानी प्रणाली)

यह एक एंड्रॉइड एप्लिकेशन है जिसमें तीन विशिष्ट मॉड्यूल नामत: गश्त मॉड्यूल, पारिस्थितिक मॉड्यूल और संघर्ष मॉड्यूल होते हैं। गश्त माड्यूल, अन्य बातों के साथ-साथ, अवैध शिकार-रोधी प्रयासों की तुलना में फ्रंट लाइन कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तंत्र है तथा एम-स्ट्राइप्स के माध्यम से सृजित किए गए आंकड़ों के आधार पर सुरक्षा संबंधी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन के लिए उपयोगी है।

5. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन

भारत सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया है और बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र के संबंध में किए गए अपराध या बाघ रिजर्वों में शिकार से संबंधित अपराध या बाघ रिजर्वों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित अपराध के लिए दण्ड की प्रमात्रा को बढ़ाया है।

इसके अतिरिक्त, बाघ बहुल राज्यों को बाघों के संरक्षण, बाघ और अन्य वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पर्यावास प्रबंधन, सुरक्षा, पारि-विकास, मानव संसाधन और अवसंरचना विकास तथा स्वैच्छिक ग्राम विस्थापन के लिए चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (सीएसएस-आईडीडब्ल्यूएच) के बाघ परियोजना घटक के अंतर्गत सांविधिक बाघ संरक्षण योजना के आधार पर तैयार की गई बाघ रिजर्व की स्वीकृत वार्षिक प्रचालन योजना के अनुसार वित्तपोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार, मुकुंदरा हिल्स बाघ रिज़र्व(एमएचटीआर) में केवल एक बाघ है।इसके अलावा, एनटीसीए ने मुकुंदरा हिल्स बाघ रिज़र्व (एमएचटीआर) में बाघों और उनके शिकार के विस्थापन को मंज़ूरी दे दी है।इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बाघों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु बाघों की सुरक्षा और उनके संरक्षण हेतु परामर्शिकाएं और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और बाघ परियोजना संबंधी निर्देशात्मक मानक) के दिशानिर्देश, 2012 अधिसूचित किए हैं।

इसके अलावा, बाघ संरक्षण संबंधी योजनाओं के अनुसार, बाघ रिजर्वों द्वारा वन्यजीव पर्यावासों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यकता-आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यकलाप किए जाते हैं और इन कार्यकलापों के लिए वर्तमान में चल रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम -'वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास' के बाघ परियोजना घटक के तहतवित्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है।

*****

अनुलग्नक

'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण'के संबंध में दिनांक21.07.2025के उत्तर में पूछे गएलोक सभाअतारांकित प्रश्न सं. 225के भाग 'क'के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में बाघों के पर्यावास स्थलों से संबंधित बाघों की संख्या का वर्ष 2014, 2018 और 2022 के संदर्भ में आकलन (अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार)

राज्य	बाघों की संख्या		
	2014	**2018**	**2022**
शिवालिक-गंगाई मैदानी पर्यावास स्थल परिसर			
उत्तराखंड	340	442	560
उत्तर प्रदेश	117	173	205
बिहार	28	31	54
शिवालिक-गंगाई	**485**	**646**	**819**
मध्य भारतीय भूदृश्य परिसर और पूर्वी घाट पर्यावास स्थल परिसर			
आंध्र प्रदेश	68	48	63
तेलंगाना	-	26	21
छत्तीसगढ़	46	19	17
मध्य प्रदेश	308	526	785
महाराष्ट्र	190	312	444
ओडिशा	28	28	20
राजस्थान	45	69	88
झारखंड	3	5	1
मध्य भारत	**688**	**1033**	**1439**
पश्चिमी घाट पर्यावास स्थल परिसर			
कर्नाटक	406	524	563
केरल	136	190	213
तमिलनाडु	229	264	306
गोवा	5	3	5
पश्चिम घाट	**776**	**981**	**1087**
उत्तर-पूर्वी पहाड़ियां और ब्रहमपुत्र बाढ़ के मैदान			
असम	167	190	229
अरुणाचल प्रदेश	28	29	9
मिजोरम	3	0	0
नागालैंड	-	0	0
उत्तर पश्चिमी बंगाल	3	0	2
उत्तर पूर्व पहाड़ियां और ब्रहमपुत्र	**201**	**219**	**236**
सुंदरवन	**76**	**88**	**101**
कुल	**2226**	**2967**	**3682**

*****